

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय घोषणा)

क्रमांक प० 12(5) राज/वाद/2024 (जयपुर)

जयपुर दिनांक 14-6-24

— आदेश —

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु
नियुक्त निम्नांकित अधिवक्तागण को उनके वर्तमान पद से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

| क्रमांक | अधिवक्ता का नाम | पदनाम |
|---------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | श्री प्रदीप कलदानिया जाट | गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 2 | श्री विनोद कुमार गुप्ता | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 3 | सुश्री सुनिता सत्यार्थी | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 4 | श्री नलिन जी. नारायण | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 5 | श्री जाकिर हुसैन | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 6 | सुश्री प्रियंका पारीक | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 7 | श्री कीर्ति स्वरूप बन्देल | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 8 | श्री गजानन्द मिश्रा मानव | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 9 | श्री सेयद ज़कावत अली | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 10 | श्री भरत लाल सैनी | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 11 | श्री इमरान खान | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 12 | श्री पुरुषोत्तम शर्मा | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 13 | श्री हर्ष साहू | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 14 | श्री शैलेष शर्मा | एडी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 15 | श्री हरि किशन सैनी | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 16 | सुश्री शैलजा दाविद्य | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 17 | श्री अजय प्रताप सिंह | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 18 | श्री भगवत सिंह चौधरी | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 19 | श्री अभिषेक मण्डारी | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 20 | श्री हरि सिंह बारेठ | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 21 | श्री आदित्य शर्मा | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 22 | श्री संदीप शर्मा | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 23 | श्री भरत सिंह | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 24 | श्री रोहित चौधरी | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 25 | श्री मोहम्मद अकबर खान | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 26 | श्री अरविन्द कुमार शर्मा | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 27 | श्री रमेश कुमारवत | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 28 | श्री मुकेश सरधाना | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 29 | श्री सुरेन्द्र कुमार मील | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 30 | श्री उग्रसेन यादव | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 31 | श्री हंसराज कुलदीप | डिप्टी गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 32 | श्रीमति अमरु दिश्नोई | असिस्टेन्ट गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 33 | सुश्री देवयानी राठोड़ | असिस्टेन्ट गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 34 | श्री रवि मीणा | असिस्टेन्ट गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |
| 35 | श्री पुष्पेन्द्र सिंह | असिस्टेन्ट गवर्नर्मेंट कॉर्सिल |

14-6-24

| | | |
|----|----------------|-----------------------------|
| 36 | श्री आशीष यादव | असिस्टेन्ट गवर्नरमेंट कॉसिल |
| 37 | डॉ० सजीत जाखड़ | असिस्टेन्ट गवर्नरमेंट कॉसिल |
| 38 | सुश्री मालती | असिस्टेन्ट गवर्नरमेंट कॉसिल |

आज्ञा से,

१५.६.२४

(ब्रजेन्द्र शुभार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल / माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि भंत्री।
3. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर पीठ।
4. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर पीठ।
9. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर / जयपुर पीठ।
10. समस्त प्रशासक वादकरण, गवर्नरमेंट काउन्सिल्स, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर पीठ।
11. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता / एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
12. समस्त जिला कलक्टर्स / पुलिस अधीक्षक / विभागाध्यक्ष।
13. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
14. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
16. सचिव, राजस्थान विद्यानसभा, जयपुर।
17. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
19. संबंधित अधिवक्ता।
20. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
21. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
22. आहरण एवं वितरण अधिकारी / लेखा शाखा, वादकरण।
23. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन करवाये जाने के संबंध में।
24. रक्षित पत्रावली।

15.६.२०२४
(राजेन्द्र गुरु)

शासन सचिव, विधि